

सरकारी कालेज में आनलाइन, एडिड व निजी कालेज में दोनों मोड से जमा हो सकेगी फीस छात्राओं की फीस रहेगी शून्य, एससी विद्यार्थियों को शर्त अनुसार मिलेगी फीस में छूट



कुलदीप व्हल • जागरण

अंबाला: कालेजों में अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं के लिए दाखिला को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। कालेज अपना प्रोफाइल निदेशक उच्चतर शिक्षा (डीएचई) की साइट पर अपलोड कर रहे हैं। चालू शिक्षा सत्र में फीस जमा करवाने को लेकर अलग-अलग निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जहां सरकारी कालेज में दाखिला पाने वालों को एकमुश्त फीस देनी होगी। वहीं सेल्फ फाइनेंस व एडिड कालेज के विद्यार्थियों को इससे छूट दी है। इसी तरह कई अन्य छूट विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। यह पहली बार होगा कि सरकारी कालेज व सेल्फ फाइनेंस तथा एडिड कालेजों के विद्यार्थियों को फीस को लेकर कई निर्देश जारी हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए दाखिला आवेदन के लिए पोर्टल 3 जून से 25 जून तक ओपन होगा।



अंबाला कैट का जीएमएन कालेज। • आर्काइव

फीस को लेकर यह दिए गए हैं दिशा-निर्देश

डीएचई द्वारा फीस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस के अनुसार राजकीय कालेज में जिन विद्यार्थियों का दाखिला होगा उन विद्यार्थियों को आनलाइन मोड से ही फीस जमा करवानी होगी। छात्राओं के लिए फीस शून्य रहेगी। दूसरी ओर राजकीय कालेज के विद्यार्थियों को सारी फीस एकमुश्त ही जमा करवानी पड़ेगी। दूसरी ओर जिन विद्यार्थियों का दाखिला एडिड अथवा सेल्फ फाइनेंस कालेजों में होता है, उनको फीस

आनलाइन या आफलाइन मोड से देने की सुविधा रहेगी। यानी इन कालेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी कैश में भी फीस जमा करवा सकेंगे। दूसरी ओर इन कालेजों के विद्यार्थी सेमेस्टर के अनुसार दो अथवा तीन किस्तों में फीस जमा करवा सकेंगे। पहली मेरिट लिस्ट के बाद 4 जुलाई से 8 जुलाई तक फीस जमा करवाई जा सकेगी, जबकि दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद 10 जुलाई से 12 जुलाई तक फीस जमा करवा सकेंगे।

ये विद्यार्थी ऐसे उठा सकते हैं छूट का फायदा

एससी कैटेगिरी के विद्यार्थियों भी फीस में छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए भी शर्त है। इसके अनुसार एडिड अथवा सेल्फ फाइनेंस कालेज में दाखिला लेने वाले इन एससी वर्ग के विद्यार्थियों को फीस जमा नहीं करवानी होगी, बशर्ते वे पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप योजना के पात्र हैं, जबकि उनकी पारिवारिक वार्षिक आय, बीते शैक्षणिक सत्र में, ढाई लाख रुपये से कम हो।

इस राजकीय और सेल्फ फाइनेंस अथवा एडिड कालेजों के विद्यार्थियों की फीस को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए हैं। राजकीय कालेज के विद्यार्थी आनलाइन ही फीस जमा करवा पाएंगे, जबकि अन्य में आनलाइन और आफलाइन मोड दोनों से ही फीस जमा हो सकेगी। जल्द ही आनलाइन पोर्टल खुल जाएगा, जिसके बाद विद्यार्थी दाखिला आवेदन कर सकेंगे। - डा. रोहित दत्त, प्रिंसिपल, जीएमएन कालेज अंबाला कैट